संख्या–1087 / पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ; दिनांकः13मई, 2020

विषयः कोविड–19 के दृष्टिगत् निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कोविड–19 हेतु निजी चिकित्सालयों को इन्फेक्शन प्रिवेन्शन प्रोटोकॉल पर दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तथा दिनांक 18 अप्रैल, 2020 को अपने जनपद से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिए जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–849 / पांच–5–2020, दिनांक 12 अप्रैल, 2020, संख्या–865 / पांच–5–2020, दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तथा संख्या–871 / पांच–5–2020, दिनांक 15 अप्रैल, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– प्रश्नगत संदर्भ में अपेक्षा है कि निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सकों / पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड–19 संबंधित प्रोटोकाल तथा इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकाल का समुचित प्रशिक्षण दे दिया गया होगा तथा प्रत्येक जनपद के समस्त निजी चिकित्सालय आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु तैयार होंगे।

3– निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–899 / पांच–5–2020, दिनांक 19 अप्रैल, 2020 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने से पूर्व यह सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया है किः–

(1) चिकित्सालय के चिकित्सकों / पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड–19 संबंधित प्रोटोकाल तथा इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकाल का समुचित प्रशिक्षण दे दिया गया हो।

(2) चिकित्सालय में मरीजों की स्क्रीनिंग (Triage) करने के लिए एक पृथक स्थल एवं सुरक्षित स्क्रीनिंग व्यवस्था स्थापित एवं क्रियाशील हो।

(3) चिकित्सालय में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे–मास्क, ग्लब्स इत्यादि समुचित मात्रा में एवं यथा आावश्यक पी0पी0ई0 उपलब्ध हो।

–2–

(4) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार चिकित्सालय परिसर के बाहर एवं अन्दर के समस्त क्षेत्र का 1% प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन द्वारा विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाए।

(5) बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाइडलाइंस का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4— उल्लेखनीय है कि कोविड–19 संक्रमण के दौरान निजी चिकित्सालयों में जनसामान्य को आकस्मिक सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या–949/पांच–5–2020, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि:–

(1) निजी चिकित्सालयों को सुरक्षात्मक उपकरण (पी0पी0ई0 किट, एन–95 मास्क) की उपलब्धता (जो निजी चिकित्सालय सुरक्षात्मक उपकरण की व्यवस्था नहीं कर पाता है) जनपद के जिला अधिकारी द्वारा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करायी जायेगी, जो आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत हों एवं उन्हीं दरों पर चिकित्सा उपलब्ध कराने के इच्छुक हों।

(2) जो निजी चिकित्सालय आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत न हों अथवा आयुष्मान भारत योजना में निर्धारित दरों पर आकस्मिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के इच्छुक न हों, उनके द्वारा मांग किये जाने पर पूरे दर पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उन्हें पी0पी0ई0 किट एवं एन–95 मास्क आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जाएंगे।

5— वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त निजी चिकित्सालयों में दिनांक 19 मई, 2020 तक प्रशिक्षण आदि की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, आम जनता के लिए दिनांक 19 मई, 2020 से समस्त निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से संचालित कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

13/5/20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1087(1)/पांच—5—2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन,
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
9. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
10. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (यूपीटीएसयू), लखनऊ,
11. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
12. समस्त पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश,
13. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ,
14. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ,
15. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0,
16. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
17. सचिव, यू0पी0 नर्सिंग होम एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

13/5/2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

18/5/2020

5.2020

संख्या–899 / पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ; दिनांक: 19 अप्रैल, 2020

विषयः–कोविड–19 के दृष्टिगत लॉकडाउन को दिनांक 20.04.2020 से कतिपय आपातकालीन सेवाओं के संचालन में शिथिलता के फलस्वरूप चिकित्सालयों के लिए निर्देश।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–264 / 2020 / सी0एक्स0–3 दिनांक 16.04.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3 / 2020–डीएम–1(ए) दिनांक 15.04.2020 के कम में दिनांक 03.05.2020 तक लॉकडाउन करने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में दिनांक 20.04.2020 से कतिपय गतिविधियों को भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार संचालित किए जाने की अनुमति दी गयी है।

2– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि:–

(1) चिकित्सालय के चिकित्सकों / पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड–19 संबंधित प्रोटोकाल तथा इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकाल का समुचित प्रशिक्षण दे दिया गया हो।

(2) चिकित्सालय में मरीजों की स्क्रीनिंग (Triage) करने के लिए एक पृथक स्थल एवं सुरक्षित स्क्रीनिंग व्यवस्था स्थापित एवं कियाशील हो।

(3) चिकित्सालय में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे–मास्क, ग्लब्स इत्यादि समुचित मात्रा में एवं यथा आवश्यक पी0पी0ई0 उपलब्ध हो।

(4) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार चिकित्सालय परिसर के बाहर एवं अन्दर के समस्त क्षेत्र का 1% प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन द्वारा विसंकमण सुनिश्चित किया जाए।

(5) बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाइडलाइंस का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
19.4.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 899(1) / पांच–5–2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
19.4.2020
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

19.04.2020

Pankaj/GO/COME-3